कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 370 / 12–1, दिनांक, मसूरी, 27 जुलाई, ,2020।

सेवा में,

PIU,
Dugadda, PMGSY Works,
Pauri Gahwal ।

विषय :– **जनपद–पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला किमी0 07 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050किमी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 7.465है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 1798 / 9सी0, पत्र दिनांक 02–07–2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके द्वारा विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की (05) पॉच हार्ड प्रति एंव आनलाईन प्रस्ताव दिनांक 13–07–2020 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की हार्ड प्रति एंव ऑनलाईन फार्म–A भाग–I की जॉच / परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्रस्ताव की हार्ड प्रति एंव ऑनलाईन फार्म–A भाग–I में इंगित निम्न कमियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें:–

1. प्रस्ताव में चस्पा संलग्कन प्रमाण–पत्रों / प्रपत्रों तथा विषय सूची में पृष्ठ कमांक अंकित किया जाय।
2. ऑनलाईन फार्म–A भाग–I के पैरा D(i) में अपलोड उप निदेशक / उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाणित Justification की प्रति को प्रस्ताव की हार्ड प्रति में यथास्थान चस्पा किया जाय।
3. प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित 7.465है0 वन भूमि के बदले दुगने 14.93है0 अवनत वन भूमि में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना / प्राक्कलन को वर्तमान दरों पर संशोधन हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 243 / 12–1, दिनांक 20 जुलाई, 2020 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के द्वारा अवगत कराया गया है जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है।
4. ऑनलाईन फार्म–A, भाग–I में अपलोड क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के गूगल मानचित्र में दो पौलीगन प्रदर्शित किये गये है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड प्रति में एक पौलीगन का डिजीटल, जियोरिफरेन्स मानचित्र चस्पा किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि का पौलीगन जो आपके द्वारा आनलाईन अपलोड किया गया है प्रस्ताव में चस्पा डिजीटल, जियोरिफरेन्स मानचित्र में अन्तर है। कृपया सम्बधित प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि के पौलीगन में एकरूपता रखते हुए गूगल, डिजीटल एंव जियो रिफरेन्स मानचित्र को ऑनलाईन फार्म–A, भाग–I के पैरा L में यथास्थान पूर्ण विवरण के साथ अपलोड किया जाय।

संलग्न – उक्तानुसार।

अग्रेषित
27-07-2020

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
देहरादून – 248001

भवदीय

उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व
देहरादून।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को उक्त सन्दर्भित पत्र एंव इस कार्यालय की पत्र सं0 243 / 12–1, दिनांक 20 जुलाई, 2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अग्रेषित
27-07-2020

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
देहरादून – 248001

उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व
देहरादून।

कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 243 / 12–1, दिनांक, मसूरी, 20 जुलाई, ,2020।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

विषय :– **जनपद–पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल–माला किमी0 07 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050किमी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 7.465है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– PIU, Dugadda, PMGSY Works, Pauri Gahwal का पत्र दिनांक 02–07–2020

महोदय,

PIU, Dugadda, PMGSY Works, Pauri Gahwal का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का प्रत्यावर्तन का आनलाईन प्रस्ताव मय हार्ड प्रति के आनलाईन दिनांक 13–07–2020 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में चस्पा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को वर्तमान दरों पर संशोधित करते हुए हार्ड प्रति एंव आनलाईन भाग–2 में अपलोड किया जाना है।

अतः उक्त विषयक प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–972 / 3–5–2, दिनांक 21–11–2017 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसका 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु वसूली वर्ष 2020–21 के अनुसार रू0 3,37,184.00 प्रति है0 की वर्तमान दरों पर वृक्षारोपण योजना को संशोधित करते हुए पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्ताव में चस्पा वसूली वर्ष 2019–20 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न की जा रही है।

संलग्न – उक्तानुसार।

अग्रेषित

भवदीय,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
उत्तराखण्ड देहरादून – 248001

उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व
देहरादून।

पत्रांक 243 / दिनांकित।

प्रतिलिपि – PIU, Dugadda, PMGSY Works, Pauri Gahwal को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 02–07–2020 के कम में।

अग्रेषित

उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व
देहरादून।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
उत्तराखण्ड देहरादून – 248001

O/C